माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

(रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में

न्यायालयः सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

धारा सिंह बनाम राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक

दांडिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या :	136/2026
आदेश दिनांक :	02.06.2026
आदेश का प्रकार :	
(अ) जमानत अस्वीकृत	**जमानत अस्वीकृत**
(ब) दोषसिद्धि/अपील अस्वीकृत	
(स) दोषमुक्ति से पलट कर दोषसिद्धि	

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त कर सकता है :–

ताल्लुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (न्यायालय में स्थित) :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति**
विधिक सेवा समिति का पता :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर (राज.)**
फोन नम्बर :	0141–2227481
टोल फ्री नम्बर :	9928900900
हैल्प लाइन नम्बर :	15100

न्यायालय : सैशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : केशव कौशिक, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(UID No.RJ00156)

दाण्डिक विविध जमानत आवेदन–पत्र संख्या : 136/2026
सी.एन.आर. नम्बर : RJDS010006022026

धारा सिंह पुत्र रामकरण, उम्र 38 वर्ष, निवासी गुर्जर मौहल्ला सीतापुरा, पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा।

...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक दौसा। ....अप्रार्थी

जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2026–27 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल दौसा।

उपस्थितः

1. श्री शाकिर खान, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी अभियुक्त
2. श्री गोपाल लाल शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक–राज्य सरकार

आदेश **दिनाँकः 02.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त धारा सिंह की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर केस डायरी तलब की गई एवं बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से बहस करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूँठा फँसाया गया है। उसका इस प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है, जिसमें मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो। प्रार्थी गरीब मजदूरपेशा व्यक्ति है तथा घर में अकेला कमाने वाला है। प्रार्थी का पूर्व का कोई

आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। प्रार्थी दिनांक 25.05.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी से कोई तफ्तीश अथवा बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगेगा। लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा प्रकट किया कि यद्यपि प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है किन्तु वर्तमान मामले में प्रार्थी अभियुक्त के कब्जा से कुल 288 पव्वे देशी सादा शराब के बरामद हुए हैं। अतः प्रार्थी से जब्तशुदा शराब की मात्रा एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा केस डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनाँक 25.05.2026 को श्री कीर्ति सिंह आबकारी निरीक्षक दौसा, सहायक आबकारी अधिकारी दौसा के नेतृत्व में मय जाब्ता वाहन के इलाका क्षेत्र में संयुक्त रेडगश्त के दौरान मुखबिर खास ने बताया कि चावण्डेडा से सीतापुरा जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति जिसका नाम धारासिंह पुत्र रामकरण है, वह शराब की पेटियां लेकर किसी साधन का इंतजार कर रहा है, यदि अभी दबिश दी जाए तो उक्त व्यक्ति माल सहित पकडा जा सकता है। मुखबीर की सूचना विश्वसनीय प्रतीत होने पर जाब्ता को सूचना से अवगत कराकर मुखबीर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो रोड किनारे एक व्यक्ति गत्ता कार्टूनों के पास खडा हुआ दिखाई दिया, जो बावर्दी जाब्ता वाहन को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। शंका के आधार पर उस व्यक्ति को पकडकर नाम पता पूछा तो स्वयं को धारासिंह पुत्र रामकरण होना बताया। मौके की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह की तलाश की गई किन्तु कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर जाब्ता में मौजूद श्रीचन्द सिंह व मुकेश कुमार सिपाहीगण को गवाह मामूर कर गत्ता कार्टूनों को खोलकर देखा तो शराब के पव्वे नजर आए। पकडे गए व्यक्ति से शराब के कार्टूनों के बारे में पूछा तो स्वयं के होना बताया। उक्त व्यक्ति धारासिंह को इतनी अधिक मात्रा में शराब बेचने व रखने बाबत परमिट व लाइसेन्स के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। जब्तशुदा शराब की गिनती की गई तो 06 गत्ता कार्टूनों में कुल 288 पव्वे प्रत्येक कार्टून में 48–48 पव्वे देशी सादा शराब 40 यूपी पेट प्रत्येक पव्वा 180 एमएल फोर सेल इन राजस्थान ओनली के सीलबन्द अवस्था में भरे हुए बरामद हुए। अभियुक्त धारासिंह का यह कृत्य

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 अंतर्गत धारा 19/54 का दण्डनीय अपराध होने पर बरामद शराब में से नियमानुसार नमूना सैम्पल रासायनिक जांच हेतु अलग से निकालकर शेष बचे पव्वों को उन्हीं गत्ता कार्टूनों में रखकर मार्का अंकित किए गए तथा अभियुक्त धारासिंह को गिरफ्तार किया गया। आदि के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2026–27 अंतर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अपराध में पंजीबद्ध की गई। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध किए गए, घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, प्रार्थी अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा दिनांक 26.05.2026 को खारिज किया गया है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

5. इस मामले में अभियोजन के अनुसार दिनांक 25.05.2026 को आबकारी निरीक्षक दौसा द्वारा रेडगश्त के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त होने पर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रार्थी अभियुक्त के कब्जा से 06 गत्ता कार्टूनों में कुल 288 पव्वे प्रत्येक कार्टून में 48–48 पव्वे देशी शराब 40 यूपी पेट प्रत्येक पव्वा 180 एमएल सीलबन्द अवस्था में बरामद होना बताया गया है। इस प्रकार अत्यधिक मात्रा में अवैध देशी शराब का परिवहन किया जाना प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति का अपराध परिलक्षित करता है। अवैध देशी शराब का सेवन आमजन के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। देशी शराब का अवैध व्यापार समाज के लिए अत्यंत गंभीर खतरा है, जिसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु तक होने की संभावना रहती है। देश एवं राज्य के विभिन्न भागों में समय–समय पर अवैध देशी शराब के सेवन से सामूहिक मृत्यु की घटनाएँ सामने आती रही हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि ऐसे अपराध केवल आर्थिक अपराध न होकर जनस्वास्थ्य एवं जनजीवन के विरुद्ध अपराध हैं। समाज में अवैध शराब का प्रसार कानून व्यवस्था तथा लोक स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। ऐसे अपराधों को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यद्यपि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना बताया गया है, तथापि केवल इस आधार पर जमानत प्रदान नहीं की जा सकती, विशेषकर तब

जबकि बरामदगी अत्यधिक मात्रा में हो तथा अपराध समाज एवं जनस्वास्थ्य के विरुद्ध गंभीर प्रभाव उत्पन्न करने वाला हो। अनुसंधान अभी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा जब्तशुदा शराब की रासायनिक एवं अन्य वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। यदि इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो साक्ष्य को प्रभावित करने अथवा अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में प्रथम दृष्टया अवैध देशी शराब का परिवहन पाया गया है, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के अंतर्गत गंभीर एवं दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, समाज एवं जनस्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव तथा केस डायरी में उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त धारा सिंह पुत्र रामकरण, उम्र 38 वर्ष, निवासी गुर्जर मौहल्ला सीतापुरा, पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इस आदेश में की गई कोई टिप्पणी प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी।

(केशव कौशिक)
(UID No.RJ00156)
सेशन न्यायाधीश, दौसा

7. आदेश आज दिनाँक 02.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कौशिक)
(UID No.RJ00156)
सेशन न्यायाधीश, दौसा